

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़  
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 96/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/111

1. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार श्रीविजयनगर

—प्रार्थी

बनाम

1. इमीचंद पुत्र डूंगरराम जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील श्रीविजयनगर

—अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. राजपैरोकार उपतहसीलदार जैतसर, प्रार्थी
2. एकपक्षीय

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 25.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (प्रकरण सं. 28/2005) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से अप्रार्थी के विरुद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 जीएम के प.नं. 182/435 में 2.13 बीघा एवं प.नं. 183/436 में 3.00 बीघा कुल 5.13 बीघा भूमि राजस्थान सरकार की सिवाय चक भूमि थी। चक 1 जीएम के प.नं. 182/435 की 1.15 बीघा एवं प.नं. 183/436 की 3.00 बीघा कुल 4.15 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि नामान्तरण सं. 79 दिनांक 02.10.1999 के द्वारा इमीचंद पुत्र डूंगरराम जाति जाट सा. चैनपुरा क्लेम अलाटी के नाम दर्ज हुआ मौका पर वर्तमान में आवंटी का पुत्र राजेन्द्र कुमार आबाद है। अतः उक्त नामान्तरण नियम विरुद्ध राजस्थान सरकार की सिवाय चक भूमि को राष्ट्रपति भारत सरकार निष्क्रांत विभाग की भूमि बनाकर रिकार्ड में दर्ज किया गया है निरस्त करने हेतु रेफरेंस योग्य हैं। रिकार्ड एवं नामान्तरण की जांच एवं अवलोकन करने पर यह स्पष्ट मालूम होता है कि प्रथम तो नामान्तरण में किसी प्रकार का स्पष्ट आदेश नहीं होते हुए भी नामान्तरण दर्ज होकर प्रमाणित हुआ तथा रिकार्ड में दर्ज हुआ इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार की सिवाय चक भूमि को निष्क्रांत विभाग की राष्ट्रपति भारत सरकार की कृषि भूमि का क्लेम अलाटी का नामान्तरण दर्ज होना नियम विरुद्ध है। चक 1 जीएम का नामान्तरण सं. 79 दिनांक 02.10.1999 निरस्त करने हेतु रेफरेंस करने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया।
2. पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के पश्चात हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी पर विधिवत तामील होने के बावजूद अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने की दशा में प्रार्थी की रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्थान सरकार की सिवाय चक भूमि को निष्क्रांत विभाग की राष्ट्रपति भारत सरकार की कृषि भूमि का क्लेम अलाटी का नामान्तरण नियमविरुद्ध दर्ज किया गया है जो निरस्त योग्य हैं। मा. राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया।
3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान है कि —

**Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;**

**and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if**



जिला कलक्टर  
अनूपगढ़

the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

4. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलेक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवालोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरण प्रति चक 1 जीएम नामान्तरण सं. 79 स्वीकृत दिनांक 02.10.1999 के कॉलम सं. 7 में भूमि आराजीराज दर्ज हैं जो कि कॉलम सं. 9 में अंकित प्रविष्टी अनुसार अप्रार्थी के नाम से क्लैम अलॉटी के रूप में दर्ज की गयी हैं। नामान्तरण के कॉलम सं. 14 में अंकित हैं कि "आदेश जरिए आवंटन आदेश 21.03.1967 मौके पर अलाटी काबिज हैं" कॉलम सं. 16 में अंकित हैं कि "श्रीमानजी, निवेदन हैं कि मुताबिक सनद के इन्तकाल दर्ज कर पेश है"।
5. प्रभारी अधिकारी पुनर्वास कलेक्टर श्रीगंगानगर से क्लेम में भूमि आवंटन पत्रावली चाहे जाने पर पूर्ववर्ती न्यायालय के समक्ष प्रभारी अधिकारी पुनर्वास कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक/पुनर्वास/12/575 दिनांक 11.09.2012 के अनुसार "कार्यालय में उपलब्ध बेसिक रजिस्टर में चक एक जीएम गांव का नाम अंकित नहीं है एवं श्री इमीचन्द पुत्र डूंगरराम पत्रावली नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि तहसीलदार श्रीविजयनगर से चक 1 जीएम के इन्तकाल सं. 79 दिनांक 02.10.1999 के साथ आदेश दिनांक 21.03.1967 की प्रति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई, जो कि इन्तकाल के साथ संलग्न नहीं है।" प्रार्थी की ओर से उपस्थित राजपैरोकार से नामान्तरण के संबंध में जिन अभिलेखों के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया हैं आवंटन आदेश/सनद की प्रति के संबंध में जानकारी ली गयी तो उन्होंने किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का कथन किया। इस प्रकार से स्पष्ट हैं कि प्रश्नगत भूमि आराजीराज दर्ज थी जो कि अप्रार्थी के नाम से नामान्तरण सं. 79 दिनांक 02.10.1999 के द्वारा क्लेम अलॉटी के रूप में दर्ज हुई हैं लेकिन उक्त भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार निष्क्रांत भूमि होने तथा अप्रार्थी को आवंटन होने संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं ना ही अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर कोई एतराज/आपत्ति अथवा लिखित कथन प्रस्तुत किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)  
जिला कलेक्टर  
अनूपगढ़  
I.A.S  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
अनूपगढ़